

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

①

द०प्र०सं० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या-...../2023

प्रथम पक्ष :- 1. झारखण्ड सरकार द्वारा पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास (मु०)थाना जिला बोकारो।

—: बनाम् :-

द्वितीय पक्ष :- 1. दिवाकर सिंह पिता श्याल लाल सिंह 2. भरत गोप पिता दिलीप गोप दोनों सा० कुम्हरी 3. अमर चक्रवर्ती पिता मनी चक्रवर्ती सा० काला पत्थर 4. एनुल अंसारी पिता कलाम अंसारी 5. शंकर रजक पिता स्व० हराधन रजक पिता स्व० हराधन रजक 6. संजय गोप पिता गोपी गोप 7. विशाल भोक्ता पिता स्व० हारु भोक्ता सा० दुधरी 8. संतोष झा पिता राखाल झा सा० चामसोबाद 9. देवाशेष रविदास पिता चेतन रविदास सा० कालापत्थर 10. शिव प्रसाद दास पिता स्व० मनभुल दास 11. हारण शर्मा पिता वकील शर्मा दोनों सा० डुमरजोर, सभी सा० चास (मु०) जिला बोकारो।

कार्यवाही

चास मु० थाना अप्राथमिकी संख्या 09/23 जो पुलिस निरीक्षक चास मु० अंचल बोकारो के माध्यम से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्षों द्वारा होली पर्व 2023 के अवसर पर सम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न कर विधि व्यवस्था/ शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द्वितीय पक्षों के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर द्वितीय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। द्वितीय पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक.....को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये का बन्ध-पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

②

6.3.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख ग्रहित
11.3.23	Case forward for maintenance of peace during Holi celebrations. Holi has finished. Hence proceeding dropped. ↓ 11/3/23 dictated & corrected.	